न्यायालयः—हीरालाल सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन जिला गुना {म.प्र.}
{समक्ष श्री हीरालाल सिसोदिया }

Registration No. - SUM/132/2022
Filling No. - SUM/550/2022
C.N.R. No. - MP0806-000608-2022
Filing Date - 15-11-2022

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
शासन पुलिस आरोन

:——अभियोजन

विरूद्ध

मुनेश सिंह रतन उर्फ नथन सिंह रघुवंशी उम्र 40 साल निवासी ग्राम खामखेड़ा हाल गौड़ मौहल्ला गुना जिला गुना म.प्र.।

:——अभियुक्त

राज्य द्वारा :— श्री प्रदीप कुमार मिश्रा

अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता :— श्री अरविंद साहू

अपराध की तारीख	05.11.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	05.11.2022
अभियोग पत्र की तारीख	15.11.2022
आरोप विरचना की तारीख	12.01.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	....
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	07.03.2024
निर्णय की तारीख	07.03.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त	अभियुक्त	गिरफ्तारी	जमानत	अपराध	दोषमुक्ति	अधिरोपित	विचारण के

की श्रेणी	का नाम	की तारीख	पर रिहा किये जाने की तारीख	जिनका आरोप है	या दण्डादेश	दण्डादेश	दौरान धारा 428 द.प्र.सं. के तहत निरोध की अवधि
	मुनेश	05.11.22	15.11.22	सार्वजनिक धुत अधिनियम की धारा 4क	**दोषसिद्ध**	**न्यायालय उठने तक का करावास और 1000 रूपये के अर्थदंड से**	—

अभियोजन साक्षियों की सूची—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
—	—	—

न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
—	—	

अभियोजन प्रदर्शों की सूची :—

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण

प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची :—

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :—

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

आवश्यक वस्तुएं:—

सं. क्रं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1		

//निर्णय //

—: आज दिनांक 07.03.2025 को घोषित :—

01. अभियुक्त पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4(क) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप अधिरोपित है।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा उपरोक्त वर्णित अपराध करना स्वीकार किया है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.11.2022 को करीब समय 16:50 बजे के लगभग आरोन—सिरोंज रोड़ नेहरू पार्क के पास आरोन अंतर्गत आरक्षी केंद्र आरोन में रूपये पैसे की हार—जीत का दावं अवैध लाभ अर्जित करने के आशय से सटटा अंक लिखते हुए पाये गये। पुलिस द्वारा प्रकरण अपराध क्रमांक 525/2022 पर पंजीबद्ध किया गया। बाद अन्वेषण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. अभियुक्त को निर्णय की चरण कंडिका क्रं. 1 में वर्णित अपराधों की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने पूर्व में अपराध किया जाना अस्वीकार किया है परंतु पश्चातवर्ती अवसर पर स्वेच्छा से अपराध किया जाना स्वीकार किया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है कि—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.11.2022 को करीब समय 16:50 बजे के लगभग आरोन—सिरोंज रोड़ नेहरू पार्क के पास आरोन अंतर्गत आरक्षी केंद्र आरोन में रूपये पैसे की हार—जीत का

दावं अवैध लाभ अर्जित करने के आशय से सटटा अंक लिखते हुए पाये गये?

—::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,

06. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार उक्त विचारणीय प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है।

07. अभियुक्त द्वारा उसके उपर अधिरोपित अपराध विवरण की विशिष्टियॉ विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा उसके उपर अधिरोपित अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है।

08. अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के संबध में अभियुक्त से पूछे जाने पर बताया कि उक्त स्वीकारोक्ति उसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी डर दवाब व धोंस के की गई है। वह उक्त स्वीकारोक्ति के परिणामों से भलीभांति परिचित है। अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति स्वेच्छा की गई प्रमाणित होती है। अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वेच्छया से की गई स्वीकारोक्ति स्वयमेव सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य होती है।

09. उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.11.2022 को करीब समय 16:50 बजे के लगभग आरोन—सिरोंज रोड़ नेहरू पार्क के पास आरोन अंतर्गत आरक्षी केंद्र आरोन में रूपये पैसे की हार—जीत का दावं अवैध लाभ अर्जित करने के आशय से सटटा अंक लिखते हुए पाये गये। अतः अभियुक्त को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम की धारा 4(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है।

10. जहां तक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3,4 व 6 के लाभ का प्रश्न है तो अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना समुचित नहीं समझता और अभियुक्त दंड पाने का दायित्वधीन है।

11. अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्त मुनेश रघुवंशी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम की धारा 4(क) के अंतर्गत् न्यायालय उठने तक का कारावास और 1000 रूपये, के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

12. अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।

13. अभियुक्त कभी भी न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

14. प्रकरण में धारा–428 सीआरपीसी का प्रमाण पत्र बनाया जाकर संलग्न किया जावे।

15. प्रकरण में जप्तसुधा संपत्ति एक अंक लिखी सटटा पर्ची, हरे पीले रंग की नीली डॉट 680 रूपये नगद है जो चालान क्रमांक 039926 दिनांक 26.12.2022 के माध्यम से जमा किये जा चुके है। उक्त जप्तशुधा राशि अपील अवधि पश्चात राजसात की जावे या अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संपत्ति का निराकरण किया जावे।

16. प्रकरण में निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की गई।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश अनुसार टंकित ।

{ हीरालाल सिसोदिया}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आरोन जिला गुना (म.प्र.)

{हीरालाल सिसोदिया}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आरोन जिला गुना(म.प्र.)

HIRALAL

Digitally signed by HIRALAL
Date: 2025.03.07 16:33:49 +0530